अति महत्वपूर्ण सूचना सभी के अनुपालनार्थ।

****

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान. श्री सुबोधकांत सहाय जी के निर्देश एवं मार्गदर्शन जो सभी को इस अपेक्षा के साथ सादर सूचित हैं कि सभी सम्बंधित पदाधिकारीगण शीघ्र ही अपने -अपने कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे ।

मान. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ बैठक 25 मई, 2018 में ही स्पष्ट करादिया था कि समय की मांग है कि अब सभी को महासभा के विस्तार एवं सशक्तिकरण के लिए अति सक्रिय होकर काम करना होगा । जिसके लिए राष्ट्र स्तर से समयबद्ध कार्ययोजना व आवश्यक मार्गदर्शन महासभा की ऑफिशियल वेबसाइट www.abkmindia.in उपलब्ध रहेगी । ताकि जो जहां है उसे आसानी से उपलब्ध रहे और क्रियान्वयन ससमय सहज रूप से होता रहे ।।

सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान में सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है जिसका हमें सकारात्मक सूचनाओं को प्रोत्साहित करने तथा नकारात्मक बातों , सूचनाओं व फ़िज़ूल की पोस्टों को हतोत्साहित करते हुए उपयोग करना होगा , अतः निम्न वत कार्य किये जाने होंगे :-

समस्त प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री के विशेष ध्यानार्थ

प्रथम

****

1. राष्ट्र के साथ ही सभी प्रांत अपने- अपने प्रांत का एक वाट्सएप्प ग्रुप ABKM.........(name of state)
उदाहरण -ABKM Delhi
का गठन कर उसमें उसी प्रांत के सभी प्रांतीय पदाधिकारी सभी प्रकोष्ठों सहित तथा उस प्रदेश के सभी संभागों के संभागीय अध्यक्ष व संभागीय संगठन मंत्री व जिलों के केवल जिलाध्यक्ष व जिला महामंत्री सम्मलित किये जांय साथ ही राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में उस प्रदेश के निवासी राष्ट्रीय पदाधिकारी व वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष/राष्ट्रीय सचिव जो उस प्रदेश के लिए राष्ट्र द्वारा प्रभारी नामित किये गए हैं, सम्मलित किये जायें ।

2. हर ज़िले का अपना वाट्सएप्प ग्रुप ABKM.......(name of district........Name of state) उदाहरण (ABKM Gwalior MP) गठित किया जाय जिसमें जिला, नगर, महानगर, तहसील, ब्लॉक के समस्त प्रकोष्ठों सहित सभी पदाधिकारी, उस जिले से सम्बंधित संभाग/मंडलिय पदाधिकारी, उस जिले के निवासी प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश महिला अध्यक्ष, प्रदेश युवा अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सम्मलित होने चाहिए ।

3. उपरोक्त सभी समूहों में महासभा से सम्बंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान, महासभा की प्रगति गतिविधियों, प्रदेश व राष्ट्र स्तर से जारी सूचना, दिशानिर्देश संगठन हेतु उपयुक्त सामग्री ही पोस्ट की जाय, अनुपयोगी, अवांछित व अन्य भ्रामक संगठनों से संबंधित कोई भी जानकारी सूचना या उनके द्वारा किये गए कार्यक्रमों गतिविधियों आदि की कोई भी सूचना, फोटो आदि इन ग्रुप्स पर शेयर न किये जांय अर्थात प्रतिबंधित करदिये जांय यदि फ़िर भी किसी को यह लगता है कि कोई सूचना देना आवश्यक है तो वह केवल संबंधित पदाधिकारी के व्यक्तिगत वाट्सएप्प पर ही भेजी जाय , सूचना के बाद भी अनुशासन बारम्बार भंग करने वाले सदस्य या पदाधिकारी को यह मानकर की उसकी निष्ठा इस व्यवस्था व महासभा में नहीं है, उसे यह बताने के बाद ग्रुप से ससम्मान रिमूव कर दिया जाय ।।

4. सूचना तंत्र इस तरह स्थापित करना है कि कोई भी सूचना ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर की ओर सरल-सहज व त्वरित रूप से सम्पूर्ण देश में पहुंच सके और तदनुसार उसका अनुपालन होसके ।।

5. कोई भी सूचना सरल व पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिए उलझी हुई, आधी- अधूरी व जल्दवाजी में कोई सूचना पोस्ट न की जाय ।

6. महासभा की अधिकृत सूचना वही मानी जायेगी जो जिला स्तर पर जिला महामंत्री द्वारा जिलाध्यक्ष के अनुमोदन से, प्रदेश महामंत्री द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के अनुमोदन व राष्ट्रीय महामन्त्री द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन उपरांत ही पोस्ट की जाएगी ।

7. किसी भी नीतिगत मामले में सभी या ज्यादातर निर्णय राष्ट्रीय, प्रांतीय कार्यसमिति में ही बहुमत के आधार/ सर्व सम्मति से ही लिए जाते हैं जिसमे सभी पदाधिकारियों की राय सम्मलित होती है जिसे या जिन्हें सर्वप्रथम डिस्क्लोज करने प्रचारित या प्रसारित के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश स्तर पर प्रदेश महामंत्री व जिले स्तर पर जिला महामंत्री ही अधिकृत प्रवक्ता होंगे उनके द्वारा जारी सूचना या विज्ञप्ति ही तत्सम्बन्धी स्तर की अधकृत सूचना या विज्ञप्ति मानी जायेगी ।

8. जब तक महासभा का अधिकृत स्टेटमेंट, सूचना या विज्ञप्ति जारी न हो कोई भी सदस्य या पदाधिकारी उस विषय या प्रकरण पर अपनी कोई जानकारी, सूचना या राय प्रकट नहीं करेंगें ।
9. अधिकृत सूचना, विज्ञप्ति या स्टेटमेंट आने के बाद कोई भी पदाधिकारी ठीक उसी रूप में ही उस या उन सूचनाओं को प्रचारित व प्रसारित करें , ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रमात्मक स्थिति न बने और सूचना व तथ्य सही सही स्वरूप में समाज में पहुंचें ।
10. अनुशासन किसी भी संगठन की पहली व आखिरी अनिवार्य शर्त होती है संगठन की मर्यादा, गरिमा, एकजुटता व उसके आदर्श बनाए रखने एवं क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये रखने के लिए सभी से अनुशासन बनाये रखना नितांत आवश्यक व अनिवार्य अपेक्षा है ।

द्वितीय
****

1. आपके प्रदेश व जिलों में संचालित कायस्थ समाज के उन सभी संगठनों का नाम, पता, वर्तमान कार्य क्षेत्र/ विस्तार क्षेत्र संक्षेप में उनके क्रिया कलाप व पदाधिकारी/ संपर्क व्यक्ति का नाम पद, पता व मोबाइल नंबर ।

2. प्रदेश की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप(quantitative review format व qualitative review format जो कि महासभा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) पर दिनांक 25 जून 2018 तक हार्ड कॉपी में हस्ताक्षरित राष्ट्रीय महामंत्री के पते -

विश्व विमोहन कुलश्रेष्ठ
156/5, सुहागनागर, फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश पिन - 283204

पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3. महासभा द्वारा ऑनलाइन सदस्यता प्रारम्भ करदी गई है, अतः ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन सदस्ता ग्रहण करने के लिए बताएं व प्रेरित किया जाय ।।

उपरोक्तानुसार सूचनाएं प्राप्त होने पर संकलित व विश्लेषण के उपरांत भविष्य हेतु सटीक कार्ययोजना का निर्माण किया जा सकेगा ।।

सम्बंधित पदाधिकारी उपरोक्त सभी विन्दुओं पर समय से कार्यवाही कराकर सूचनाएं ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवलोकनार्थ व आवश्यक निर्णयार्थ प्रेषित की जा सकें ।

सादर

विश्व विमोहन कुलश्रेष्ठ
राष्ट्रीय महामंत्री
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

प्रतिलिपि - सूचना एवं अवलोकनार्थ

1. मान. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी , अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ।

(राष्ट्रीय महामंत्री)